कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रमांकः— संनि/स्कू.शि/बीका/शैप्र/सामान्य/2019/1492 दिनांकः—17.07.2019

समस्त संभागीय संस्थाप्रधान,
बीकानेर संभाग, बीकानेर।

विषयः— विद्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों के मोबाईल विद्यालय समय में बन्द करवाने एवं अपने पास जमा कर रखने बावत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संभाग में संचालित समस्त राजकीय/अराजकीय विद्यालयों में कार्यरत सभी कार्मिक अपने साथ मोबाईल लेकर आते है, जिससे विद्यालयों में कार्मिक मोबाईल पर बातें करते रहते है, जिससे विद्यालयों में अध्यापन का माहौल नहीं बन पाता है। उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान प्रायः यह देखने में आया है कि कार्मिक अपने मोबाईल पर वाट्सअप एवं अन्य बातों में व्यस्त रहते है एंव कक्षाओं में अध्ययन नहीं करवाते है।

अतः संभाग के समस्त संस्थाप्रधानों राजकीय/अराजकीय को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने—अपने विद्यालय के सभी कार्मिकों का **विद्यालय समय में मोबाईल बन्द करवाना सुनिश्चित कर मोबाईल कार्यालय में जमा रखें**। उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान कोई भी कार्मिक मोबाईल का प्रयोग करते पाया जाता है तो, सम्बन्धि कार्मिक एवं संस्थाप्रधान के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी, जिसके लिए कार्मिक एंव संस्थाप्रधान स्वयं जिम्मेवार होगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(देवलता)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः— संनि/स्कू.शि/बीका/शैप्र/सामान्य/2019/1492 दिनांकः—17.07.2019

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगागनर/हनुमानगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंम्भिक, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़
3. समस्त संभागीय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर